V-25/2008

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना।

(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

30-04-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—9—408/2007 में आवेदक **श्री मिथलेश राज राजू**, पिता—श्री बैजू शर्मा, सा0—जय बल्लभ अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं0—306, थाना—पाटलीपुत्रा, जिला—पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर0 रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक—30.04.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं तथा उनकी वार्षिक आय 80,574/— (अस्सी हजार पाँच सौ चौहत्तर) रूपये प्रतिवर्ष है और उनके द्वारा जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक—1882/गो0, दिनांक—11.11.2007 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। पुलिस निरीक्षक—सह—थानाध्यक्ष, पाटलीपुत्रा के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिसमें अंकित है कि आवेदक द्वारा सनहा सं0—432, दिनांक—11.05.2007 के संबंध में जाँच किया गया परन्तु कुछ स्पष्ट पता नहीं चल सका। थानाध्यक्ष, पाटलीपुत्रा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जान—माल की सुरक्षा एवं अपराधियों से बचाव हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत की जा सकती है, परन्तु समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका—10 अन्तर्गत आवेदक को कोई विशेष सुरक्षा भय होने की बात प्रतिवेदित नहीं की गयी है।

आवेदक के द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर कार्रवाई लंबित रहने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0—3583/2008 दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक—23.02.2012 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर चार माह के अन्दर विचार करते हुए अंतिम आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है। नियत समय सीमा में अंतिम आदेश पारित नहीं होने के कारण आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एम0जे0सी0 सं0—...../2013 भी दायर किया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0—V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक—31.03.2010 की कंडिका—II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :—

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका—II की उप कंडिका—b तथा e निम्नवत है :—

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

30/4/13

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक श्री मिथलेश राज राजू को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री मिथलेश राज राजू, पिता– श्री बैजू शर्मा, सा0–जय बल्लभ अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं0–306 , थाना–पाटलीपुत्रा, जिला– पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/4/10

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

30/4/10

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।